e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 12, December 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का विकास और जागरूकता

Dr. Seema Gupta

Associate Professor, Department of History, Government Arts College, Kota, Rajasthan, India

सार: ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा का महत्व और मूल्य किसी शिक्षित व्तक्ति को ही पता हो। बहुत लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो शिक्षित होना चाहते हैं लेकिन वित्तीय समस्याओं की वजह अपना मन मार कर रह जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षा पर समाज ने ही बाहर से रोक लगा दी है। इसलिए अगर हम ग्रामीण महिलाओं की बात करें, तो उनके साथ यह दोनों समस्याएं होना स्वाभिक है। लेकिन इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसे कुछ तरीके निम्न लिखे हुए हैं जिनकी सहायता से हम ग्रामीण महिलाओं को आत्म-निर्भर और सक्षम कर सकते हैं। अगर हम महिलाओं को उनकी ही स्थानीय भाषा में उन्हें निपुण कर सकें, तो यह काफी लाभदायक और शायद आसान होगा। अपनी स्थानीय भाषा में हर किसी को रूचि होती है। इसलिए अगर महिलाएं यह भाषा आसानी से बोल सकतीं हैं, और इसके साथ-साथ उन्हें इसी भाषा में लिखना भी सिखा दिया जाये, तो वह बेहतर होगा। इसका उपयोग वे काफी तरह से कर सकतीं हैं। वे अपने बच्चों को स्वयं ही पढ़ा सकतीं हैं। इसके साथ-साथ अगर संभव हो तो वे अपने समुदाय से जुडी समस्याएं, आदि से जुड़े लेख भी लिख सकतीं हैं।

परिचय

हो सकता है कि ग्रामीण महिलाओं को अकेले बाहर जाने और पढ़ने की इज़ाज़त न दी जाये। लेकिन यह भी एक सम्भावना है कि यदि ढेर सारी महिलाएं एक साथ शिक्षा प्राप्त करें तो उन्हें अपने परिवार का समर्थन मिले। यह संभव है हो सकता है सामुदायिक कक्षाओं की मदद से। इन कक्षाओं में महिलाएं एन्जॉय भी करती हैं और उन्हें एक-दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने का एक मंच भी मिल जाता है। इन कक्षाओं में एक बार फिर से वे अपने बचपन को जीने का अवसर पा सकती हैं। जागरूकता कार्यक्रम और अभियान भी लोगों को शिक्षित करने का एक अच्छा उपाय हैं।[1,2] यह ज्यादातर सरकार द्वारा और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जाते हैं। यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखते हैं। इन कार्यक्रमों से लोगों का कितना लाभ हुआ, यह बाद में किये जाने वाले सर्वे से पता लगाया जाता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हर व्यक्ति में, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, बहुत काबिलियत होती है। इसलिए प्रतिभा कक्षाओं की सहायता से हम महिलाओं के भीतर छिपे हुए उनके कौशल और प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। हो सकता है हर महिला की पढ़ने-लिखने में ज्यादा रूचि न हो जितनी की किसी और कार्य में हो। उन स्तिथियों में यह प्रतिभा कक्षाएं काफी मदद कर सकतीं हैं। स्त्री शिक्षा आज के युग में समाज में सुधार की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है। उनकी हर तरह की पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन का श्रेय स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार को है। उन्हें समाज में उचित स्थान देना चाहिए।[3,4]

भ्रूण परीक्षण द्वारा कुछ लोग पहले ही बालक होने के प्रति आश्वस्त होना चाहते हैं। भारत में भ्रूण हत्या और उनका परीक्षण स्त्री को जन्म से ही वंचित कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के कारण इस पाप को करने से लोग हिचकी चाहते नहीं हैं। आज भी कुछ लोग जन्म के बाद बालक बालिका में भेदभाव की भावना रखते हैं, जो स्त्रियों के विकास को अवरुद्ध करती हैं।[5,6]

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति

- इस समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति कहकर भी पुकारा जाता है।
- भारत सरकार को प्रत्येक राज्य में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु विद्यालयों तथा सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
- स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा की राज्य परिषद में गठित की जानी चाहिए।

बावजूद ग्रामीण परिवेश की लड़कियों को अभी तक उच्च शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। समाज उत्थान के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव मुरथल में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

स्थापना के बाद से महिला कालेज की काफी तरक्की हुई है। छात्राओं की संख्या में भी तीन गुना तक वृद्धि हुई है। कालेज तक अधिक से अधिक छात्राओं के पहुंचने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं. वर्तमान में महिला शिक्षा सबसे आवश्यक हो गई है। शिक्षित महिला ही समाज के उत्थान में अपना पूर्ण योगदान दे सकती है। महिलाओं को इसके लिए स्वयं आगे आना चाहिए। कालेज की तरफ से भी छात्राओं को शिक्षित करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाता है। गांवों में रैलियां निकालकर महिला शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। [7,8] आसपास के गांवों में जाकर सरपंचों को अधिक से अधिक छात्राओं को कालेजों में भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। छुट्टियों में प्राध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है कि वे गांवों में जाकर लोगों को उनकी लाडलियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें। ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की सुरक्षा को अधिक तव्वजो दी जाती है। कई परिवार तो सुरक्षा का बहाना बनाकर ही छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित कर देते हैं। इसी को देखते हुए कालेज में सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। कालेज में सीसीटीवी लगवाया गया है। इतना ही नहीं कालेज का गेट सुबह बंद होने के बाद छुट्टी होने पर ही खोला जाता है। गेट पर चौकीदार की व्यवस्था की गई है। किसी भी आगंतुक की गेट पर ही इंट्री की जाती है।[9,10]

आलम यह है कि गाँव तो गाँव, शहर तक में लोग देवियों के लिए पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान और अनेक आडम्बर रचते हैं पर वास्तव में एक स्त्री को केवल उपभोग, दोयम दर्जे और छोटी निगाहों से देखते हैं. एक महिला के लिए अमानवीय व्यवहार करना भारतीय मानसिकता के लिए एक बड़ी सामान्य सी बात मानी जाती है. शहरों की पढ़ी लिखी बहादुर महिलाएँ अपमानित करने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छी तरह जानतीं हैं, परन्तु ग्रामीण परिवेश की स्त्रियों को यह सब बर्दाश्त करने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं होता. दलित महिलाएँ तो यहाँ और भी अधिक भेदभाव की शिकार हैं. महिलाओं को ऐसी बदतर स्थिति से निकालने के लिए कई प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. ग्रामीण भारत में बहुत सी ऐसी घिसीपिटी प्रथाएँ जैसे कम उम्र में शादी, अशिक्षा या अधूरी शिक्षा, दहेज़ के लिए प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, जबरन गर्भपात आदि आज भी प्रचलित हैं, [11,12]जो महिलाओं के सशक्तिकरण में भारी अवरोध का काम करती हैं, इन्हें ख़त्म करने की सबसे ज्यादा जरुरत है. गाँवों में स्त्रियों के लिए रोजगार की व्यवस्था यानि स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें सशक्तिकरण में कई कदम आगे लेकर जाएगी. छोटे और बड़े रोजगार देश को भी आर्थिक समृधि की ओर अग्रसर करेगा. ग्रामीण महिलाएँ कृषि, खेती-बाड़ी, लघु गृह-उद्योग, मिर्च-मसाले, अचार - पापड़, सिलाई, कढ़ाई बुनाई आदि में काफी समय से अपना योगदान दे रही हैं. कृषि क्षेत्र में योगदान के रूप में ग्रामीण महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. जिसका उन्हें न तो श्रेय मिलता है, न दर्ज़ा और न हीं उचित मूल्य. इस विषम स्थिति को बदल कर नारी को उसका हक़ दिलवाने के लिए प्रयास जरुरी है. एक स्त्री को न तो आधुनिक मशीनरी और न हीं खेतों का स्वामित्व मिल पाता है. खेत पुरुष सदस्य के नाम पर होते हैं. आज महिलाओं को बैंको से ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रयास शुरू किए गए हैं इससे उन्हें अपने उद्योग को शुरुवाती स्तर पर स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा. टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में मोबाइल के इंटरनेट द्वारा भी बहुत सी चीज़े आसान हो सकेंगी जिससे महिलाएँ अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को व्यवसाय से सम्बन्धित उचित प्रशिक्षण दिलाना उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा. अधिक से अधिक संस्थाओं का यह प्रयास होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए उचित व्यवसायिक प्रक्षिशण चलाए जाएँ.[13,14]

विचार-विमर्श

ग्रामीण समाज एक ऐसी पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाली मनोवृत्ति पर विद्यमान है जो मानकर चलती है कि महिलाएँ दोयम दर्जे की नागरिक है तथा उन्हें संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा यहीं तक कि स्वयं के शरीर पर प्राकृतिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है ।ग्रामीण समाज की महिलाओं की समस्याएँ कुछ अलग प्रकृति की हैं । ग्रामीण समाज में 90 प्रतिशत महिलाएं खेती पर निर्भर है तथा असंगठित क्षेत्रा में 98 प्रतिशत महिलाएँ है । ग्रामीण महिलाओं को लगातार 16-18 घण्टे कार्य करना पड़ता है । सुबह आटा पीसने से लेकर रात में बचा हुआ खाने का निवाला खाने तक उन्हें हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है । महिलाओं को दिनभर खेत में खपना पड़ता है, पानी लेने के लिए 4-4 मील पैदल जाना पड़ता है, घास काटनी पड़ती है और फिर घर का सारा काम खाना बनाना, बच्चों को पालना उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से है फिर भी उनके श्रम को पितृसता महत्वपूर्ण नहीं मानती तथा यह कहते सुना जाता है कि तुम तो घर में पड़ी रहती हो यही मानसिकता महिलाओं को आज तक गरिमा पूर्ण जीवन नहीं दे पाया है ।[15,16]

महिला आंदोलनों ने महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायती राज व्यवस्था में एक तिहाई, अब 50 प्रतिशत: महिला आरक्षण का प्रावधन लागू किया गया ।

जिसके फलस्वरूप वर्तमान में लगभग 14 लाख महिला जन प्रतिनिधि है । परंतु वास्तविकता में पुरूषों ने यह मौका उनसे छीन लिया तथा पंचायतों में चुनकर आयी महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का उपयोग उसके पति, पिता अथवा भाइयों द्वारा किया जा रहा है और ग्रामीण महिला आज भी घर की चारदीवारी में अपने पारंपरिक घरेलू कार्य निपटा रही . महिला आंदोलनों में ग्रामीण

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

महिला की आवाज दबकर रह गयी है । आज जो कुछ भी अधिकार मिल रहे है वे सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं प्राप्त कर रही है तथा संगठित श्रम बाजार में ग्रामीण महिलाएं अनुपस्थित है जिससे वे अपने शोषण व अभय अत्याचार के खिलाफ भी खड़ी नहीं हो पा रही है । ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य. शिक्षा की स्थिति तो सोचनीय है भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट दर 2007-08 में कक्षा 5 में 24.4 प्रतिशत, कक्षा 8 में 41.3 प्रतिशत तथा कक्षा 10वीं में 57.3 प्रतिशत थी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में 53 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है । महिलाओं को शिक्षा के पात्र नहीं समझा जाता तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे सोच यह रहती है कि लड़कियों पढ़कर करेगी क्या उन्हें आखिर में चूल्हा ही तो संभालना है ।[17,18]अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लड़कियों में आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एनीमिया, कुपोषण अस्वच्छता, खुले में शांच जैसी समस्याएं व्याप्त है । समाज में यह सोच है कि लड़कियाँ कठजीवी होती है वे बीमार होने पर अपने आप ठीक हो जाएगी अतः उनका इलाज नहीं करवाया जाता । जिसका परिणाम यह है कि आज मातृत्व मृत्युदर 212 प्रतिलाख पहुंच चुकी है ।ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता है । जैसे राजस्थान, म.प्र. में काल-बेडियाँ व साँसी जनजातियों में वैश्यावृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित है इसके अतिरिक्त संगठित गिरोह द्वारा लड़कियों का अपहरण करके अथवा नौकरी के बहाने बहला-फुसलाकर शहरों में वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है ।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 से 2009 तक 5 हजार लड़कियाँ गायब हुई । पितृ सत्तात्मक सोच भारतीय ग्रामीण समाज में अपने प्रभावी रूप में विद्यमान है । यहां नारी को अपना झूठा सम्मान व इज्जत से जोड़कर देखा जाता है । अतः उसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं प्रेम विवाह करने वाली लड़कियों को 'ऑनर किलिंग', यानी सम्मान के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है ।यहां महिलाओं को अगर कोख से जिंदगी मिल गयी तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर उसकी सीसे छीन ली जाती है जिसे हम भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग या दहेज हत्या के रूप में देख सकते है । अन्त में यही कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को संवेदन शीलता के साथ समझने की जरूरत है तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, संपत्ति के अधिकार के कानूनों से ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि सदियों से पितृसत्ता की जकड़न से घुट रही 'स्त्री शक्ति' को इस सबसे बड़े लोकतंत्र का भाग्य तय करने में अपने अधिकार मिलें । क्योंकि देश की आधी आबादी को सशक्त किए बिना ना तो हम विकास को समावेशी बना सकते और ना ही भारत को महाशक्ति के रूप में देख सकते है, क्योंकि देश की महाशक्ति का रास्ता नारी शक्ति के द्वारा ही तय कर सकते है ।[19,20]

सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला समाख्या स्कीम ने समानता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा के केंद्रीकरण को मान्यता प्रदान की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिला समाख्या के तहत एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें मात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला समाख्या के तहत शिक्षा को न केवल साक्षरता कौशल प्राप्त करने के माध्यम के रूप में माना गया है अपितु इसे प्रश्न पूछने,मुद्दों और समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने तथा समाधान करने की प्रक्रिया के रूप में माना गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी ओर से अध्ययन कर सकें, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सके और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके। इसमें महिलाओं में अपनी अवधारणा में परिवर्तन लाने तथा महिलाओं की "परम्परागत भूमिकाओं" के सम्बन्ध में समाज की अवधारणा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। यह अनिवार्य रूप से महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभवंचित तथा अन्य कमजोर वर्गों की महिलाओं को सक्षम बनाना है ताकि वे अलगाव और आत्मविश्वास की कमी, कठोर सामाजिक प्रथाओं जिन्हें उनके अध्ययन में शामिल किया गया है, का समाधान कर सकें, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकें। इस प्रक्रिया से महिलाएं सशक्त होगी।[21]

परिणाम

महिला समाख्या स्कीम इन महिला संघों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर महिलाओं की अधिकारिता की नींव रखने में सफल हुई हैं। राज्यों में संघों ने दैनिक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, पेयजल, नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने, स्वास्थ्य तथा पोषण, संसाधन उपलब्ध कराने तथा नियंत्रित करने, अपने बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने, उनकी चिंताओं को दूर करने तथा महिलाओं के विरूद्घ हिंसा, बाल-विवाह, दहेज आदि सामाजिक समस्याओं का समाधान करने जैसे विषयों तथा समस्याओं को दूर करने में पहल की है। महिला समाख्या योजना

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

के प्रभावीपन ने महिलाओं को शिक्षा हेतु गतिशील करके सर्व शिक्षा अभियान(एस.एस.ए.) के साथ भी निकट अन्तरण करने में परिणत हुई है।

उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- महिलाओं की आत्मछवि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना;
- ऐसा वातावरण तैयार करना जहां महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकें जिससे वे समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें;
- प्रबंधन की विकेंद्रीकृत तथा सहभागी पद्धति तैयार करना;
- महिला संघों को गांवों में शैक्षिक कार्यकलापों की सुविधा तथा मानीटरिंग करने में समर्थ बनाना;
- महिलाओं तथा किशोरियों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना;
- औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं तथा लड़कियों की अधिक सहभागिता प्राप्त करना।

वर्तमान में महिला समाख्या योजना को 10 राज्यों नामतः, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के 104 जिलों और लगभग 32574 से भी अधिक गांवों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को राजस्थान राज्य में शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस स्कीम के लिए 11वीं योजना का बजटीय परिव्यय 210.00 करोड रू. है।[22]
महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। एनपीई, 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरूआत हुई। समानता हासिल करने में महिलाओं को शिक्षित बनाने में एमएस योजना को पहचाना जाता है। महिला संघ गांव स्तर पर महिलाओं को मिलने, सवाल करने और अपने विचार रखने तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अलावा अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का स्थान मुहैया कराते हैं।
महिला संघों ने ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बदलाव ला दिया है जिसका प्रभाव अब घर, परिवार में, सामुदायिक तथा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर देखा जा सकता है। कार्यक्रम में बच्चों खासकर लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने पर भी केंद्रित होता है। ताकि लड़कियों को भी बराबर का दर्जा और अवसर मिल सके। इसके परिणाम स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि और स्कूल न छोड़ने के रूप में सामने आए हैं।
महिला समाख्या योजना आरम्भ में नौ राज्यों के 83 जिलों में 21,000 गांवों में चलाई जा रही थी। ये नौ राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वित्त वर्ष 2007-08 से इस योजना को दो और राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया | वित्त वर्ष 2007-08 में इस योजना के लिए 34 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया। वर्ष 2011-12 के लिए ` 50 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था।
भारतीय शिक्षा आयोग के स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव — भारतीय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये—
(1) प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जाऐ।
(2) बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
(3) उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए।
(4) बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, यूनिफार्म एवं अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
(5) माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए।
(6) बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए ।
(7) बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
(8) बालिकाओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी आदि विषयों को स्वयं चयन करने की स्वतन्त्रता दी जाए।
(9) गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य-विषय को विकसित करके उनको बालिकाओं के लिए आकर्षक बनाया जाए।
(10) बालिकाओं को व्यावहारिक प्रबन्ध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिये जाएँ।
(11) स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु ठोस सुझाव देना ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में घोषणाएँ– महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने तथा स्त्री शिक्षा में समानता के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये-
(1) बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं किया जायेगा।
(2) स्त्री शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

(3) बालिकाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
(4) व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को विशेष सुविधा दी जायेगी ।
आचार्य राममूर्ति समिति, 1990 का स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव—
(1) शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किये जाएँ।
(2) कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाए।
(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाए।
(4) 300 छात्राओं पर प्राथमिक विद्यालय, 500 छात्राओं पर एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किये जाएँ।
(5) योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।
(6) योग्य छात्राओं को यूनीफार्म एवं पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाएँ ।
(7) महिला शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाई जाए।
(8) छात्राओं को आवासी विद्यालयों की सुविधा प्रदान की जाए।
(9) उच्च शिक्षा में बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
(10) छात्राओं के विद्यालय आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए।
स्त्री – शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किये जा रहे प्रयासस्त्री-शिक्षा में सुधार के लिए किये जा रहे प्रयास उपयुक्त सुझावों तथा घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं–
(1) जिन जिलों में साक्षरता प्रतिशत कम है, उनमें "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" चलाया जा रहा है।
(2) बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं ।
(3) बालिका निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90% अनुदान देना प्रदान कर दिया गया है।
(4) नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किये गये हैं।
(5) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है।
(6) बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क है।
(7) गरीब छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
(8) बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।
(9) सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में "महिला समाख्या कार्यक्रम" शुरू किया गया जो 53 जिलों के 900 गाँवों में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

भारत में पुराने समय से ही शिक्षा का एक अलग ही महत्व रहा है, जो अनवरत आज तक जारी है. आज दो अक्टूबर है. दो अक्टूबर माने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिन है. उनके जन्मदिन के मौके पर यदि हम उनके जीवन के तमाम पहलुओं के साथ शिक्षा की बात न करें, तो यह बेमानी ही होगी. वैसे, तो बापू को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब आप शिक्षा और स्त्री शिक्षा को लेकर उनके विचार, सिद्धांत और कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे, तो पायेंगे कि उन्होंने भारत की ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के अभिजात वर्ग की शिक्षित महिलाओं को मैदान में उतरने की चुनौती दी थी.
जब हम राष्ट्रपिता बापू की बात करते हैं, तो जीवन के वे तमाम सिद्धांत आंखों के सामने तैर जाते हैं, जिन्हें गांधीजी ने भविष्य के भारतीय समाज के लिए निर्धारित किया है. खासकर, उन्होंने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा सिद्धांत को आम जीवन में सरलता से आत्मसात करने के लिए एक सुगम और व्यावहारिक रास्ता बनाने का काम किया. महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, 'शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं श्रेष्ठतम आत्मिक शक्तियों का अधिकतम विकास हो.'[23]
गांधीजी ने महिलाओं की शिक्षा को पूरा महत्व दिया, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अकेले स्त्री शिक्षा या फिर शिक्षा से ही राष्ट्र के नवनिर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने एक बार कहा था, 'महिलाओं की शिक्षा मात्र ही दोषी नहीं है. हमारी समूची शिक्षा प्रणाली ही विगलित है.' वे शहरों और कस्बों में रहने वालों की आलोचना करते थे, जो उस समय पूरी आबादी का कुल 10 से 15 फीसदी थे और प्रत्येक चीज में लिंग संबंधी भेद-भाव को बढ़ावा देते थे. 2 मई, 1929 को गांधीजी ने यंग इंडिया में लिखा था, 'जरूरी यह है कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और उसे व्यापक जनसमुदाय को ध्यान में रखकर तय किया जाए.' उन्होंने आगे लिखा, 'जिस शिक्षा प्रणाली में बल नहीं दिया जायेगा, वह उपयुक्त नहीं हो सकती. भारत में जो गिनी-चुनी शिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें पश्चिमी ऊंचाइयों से नीचे उतरकर देश के मैदानों में आना होगा. उनकी उपेक्षा के लिए निश्चय ही पुरुष जिम्मेदार हैं. उन्होंने महिलाओं को अनुचित इस्तेमाल किया है, किन्तु जो महिलाएं अंधविश्वासों से ऊपर उठ चुकी हैं, उन्हें सुधार के लिए रचनात्मक कार्य करने होंगे.' गांधीजी के मुताबिक, 'शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो लड़के-लड़कियों को खुद के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक-दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके. महिलाओं के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपने आप को पुरुषों का गुलाम अथवा पुरुषों से घटिया समझें. उनकी अलग पहचान नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता है. अत:

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

महिलाओं को सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ विद्रोह करें, इस तरह के विद्रोह से कोई क्षति होने की आशा नहीं है. इससे तर्कसंगत प्रतिरोध होगा और पवित्रता आयेगी.'[22]

निष्कर्ष

शासकीय प्राथमिक शाला दुरपा में अंगना म शिक्षा की जानकारी ग्रामीण महिलाओं को दी गई । संकुल समन्वयक लक्ष्मीचंद देवांगन ने कहा कि शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी पहल करते हुए माताओं को बच्चों की शिक्षा का पहला माध्यम माना है। शिक्षा विभाग की ओर से इस दिशा में कई कार्य योजना बनाई गई है जिसका क्रियान्वयन शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों तथा महिलाओं द्वारा किया जाना है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, 1958 के सुझाव– राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने स्त्री शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिये—

(1) सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।
(2) सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक समस्या के रूप में स्वीकार कर उसका भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
(3) स कार को राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा की नीति निर्धारित करनी चाहिए और इस नीति को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए।
(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रयास जाने चाहिए। कये
(5) बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा की विषमताओं को समाप्त कर समानता स्थापित की जाए।
(6) स्त्री शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्" संस्थान का गठन किया जाए।
(7) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक सुविधायें प्रदान की जाए।
"राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति" के सुझाव को स्वीकार करके शिक्षा मन्त्रालय ने सन् 1959 में "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् का गठन किया। सन् 1964 में इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया। इस समिति को अनेक कार्य सौंपे गये।
राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, 1958 के कार्य – राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने स्त्री शिक्षा हेतु निम्न कार्य किये —
(1) स्कूली स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को सुझाव देना।
(2) स्कूली स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सुझाव देना।
(3) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों का प्रयोग करने के लिए सुझाव देना । –
(4) स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना ।
(5) बालिकाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा भावी जागृति पर दृष्टि रखना।
(6) बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनारों का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में सुझाव देना।
"राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्" का एक प्रमुख कार्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान कराना था। परिषद् ने इस समस्या पर विचार करने के लिए " श्रीमति हंसा मेहता" की अध्यक्षता में सन् 1962 में एक समिति का गठन किया जिसे "हंसा मेहता समिति" कहा जाता है। इस समिति ने स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये–
हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव–"हंसा मेहता समिति" ने पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में दो सुझाव दिये—पहला सुझाव था कि विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिए।
दूसरा सुझाव था कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो पुरुषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अन्तर को और स्थायी बना दे।[23]

संदर्भ

1. "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 24 अगस्त 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 दिसंबर 2015.
2. जे सी अग्रवाल (1 January 2009). भारत में नारी शिक्षा. प्रभात प्रकाशन. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-85828-77-0.
3. E. W. Hutter (1859). Female Education: Its Importance, the Helps and the Hindrances : Address Delivered Before the aculty and Students of the Susquehanna Female College, at Selinsgrove, Pa., on Tuesday Evening, November 8th, 1859. T.N. Kurtz. मूल से 19 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 जुलाई 2016.
4. सुमन कृष्ण कांत (1 सितम्बर 2001). इक्कीसवीं सदी की ओर. राजकमल प्रकाशन. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-267-0244-2.
5. Female Education: A Study of Rural India. Cosmo Publications. 2003. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7755-207-2.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

|| Volume 11, Issue 12, December 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1112057 |

6. डॉ. जे. पी. सिंह, (1 April 2016). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. PHI Learning Pvt. Ltd. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-81-203-5232-2.
7. "प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था" (PDF). मूल से 11 मई 2018 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 11 मई 2018.
8. "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill". द हिन्दू. मूल से 25 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
9. ↑ [hindu.com/2010/03/10/stories/2010031050880100.htm "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill"] जाँचें |url= मान (मदद). द हिन्दू. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
10. ↑ Jayapalan (2001). Indian society and social institutions. Atlantic Publishers & Distri. पृ° 145. आई°ऍस°बी°ऍन° 9788171569250. मूल से 27 सितंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
11. ↑ "Women in History". National Resource Center for Women. मूल से 19 जून 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
12. ↑ आदर्श पत्नी: त्रियम्बकयाज्वन द्वारा स्त्रीधर्मपद्धति (महिलाओं के कर्त्तव्यों में सहायक) (अनुवादक जूलिया लेसली), पेंग्विन 1995 आईएसबीएन 0-14-043598-0.
13. ↑ see extensive excerpts from strIdharmapaddhati at http://www.cse.iitk.ac.in/~amit/books/tryambakayajvan-1989-perfect-wife-stridharmapaddhati.html
14. ↑ Mishra, R. C. (2006). Towards Gender Equality. Authorspress. आई°ऍस°बी°ऍन° 81-7273-306-2. मूल से 29 अक्तूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
15. ↑ Pruthi, Raj Kumar; Rameshwari Devi and Romila Pruthi (2001). Status and Position of Women: In Ancient, Medieval and Modern India. Vedam books. आई°ऍस°बी°ऍन° 81-7594-078-6. मूल से 14 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
16. ↑ कात्यायन द्वारा वर्त्तिका, 125, 2477
17. ↑ पतंजलि द्वारा अष्टध्यायी के लिए टिप्पणियां 3.3.21 और 4.1.14
18. ↑ आर.सी. मजूमदार और ए.डी. पुसल्कर (संपादक): भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति. वॉल्यूम I, वैदिक युग. मुंबई: भारतीय विद्या भवन 1951, पी.394
19. ↑ "Vedic Women: Loving, Learned, Lucky!". मूल से 20 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
20. ↑ "InfoChange women: Background & Perspective". मूल से 24 जुलाई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
21. ↑ Jyotsana Kamat (2006-1). "Status of Women in Medieval Karnataka". मूल से 1 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
22. ↑ Vimla Dang (19 जून 1998). "Feudal mindset still dogs women's struggle". The Tribune. मूल से 19 दिसंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
23. ↑ "The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987". मूल से 21 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118

doi crossref

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details